न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 10/2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00324

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. सोहनलाल पुत्र मगनराम जी जाति–भाट, निवासी –हाथलाई, तहसील एवं जिला पाली(राज.) 2. श्रीमति सुखी धर्मपत्नी श्री ढलाराम जी, जाति–भाट निवासी–241, भाटों का बास, नया गांव पाली, तहसील एवं जिला पाली 3. महेन्द्रकुमार पुत्र श्री सोहनलाल जी ,जाति–भाट निवासी–हाथलाई, तहसील एवं जिला–पाली (राज.) 4. मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री अल्लानूर जी, जाति–मुसलमान लौहार, निवासी–सोमनाथ मन्दिर के पास पाली, तहसील एवं जिला–पाली		1. पन्नालाल पुत्र गुलाब जी, जाति–भाट के का.मु. 1/1. मोरियादेवी पत्नी पन्नालाल 1/2. खीमाराम पुत्र पन्नालाल 1/3. ओमप्रकाश पुत्र पन्नालाल 1/4. किशनलाल पुत्र पन्नालाल 1/5. गजेन्द्र पुत्र पन्नालाल जातिगण–भाट, निवासीगण–भाटों का बास, नया गांव पाली तहसील व जिला–पाली 2. कानाराम पुत्र गुलाब जी, जाति–भाट, निवासी–भाटों का बास, नया गांव पाली, तहसील व जिला पाली 3. लच्छाराम पुत्र गुलाब जी, जाति–भाट के का.मु. 3/1. जमनादेवी पत्नी लच्छाराम 3/2. अशोक कुमार पुत्र लच्छाराम 3/3. सज्जनराज पुत्र लच्छाराम जातिगण–भाट, निवासीगण–भाटों का बास, नया गांव पाली, तहसील व जिला–पाली 3/4. इन्द्रा पुत्री लच्छाराम पत्नी इसूजी, जाति–भाट निवासी–रेलवे स्टेशन भगवानपुरा, तहसील–रानी, जिला–पाली 3/5. दरिया पुत्री लच्छाराम पत्नी राजू, उम्र–बालिग, जाति–भाट, निवासी–जगदम्बा कॉलोनी, नया गांव, तहसील एवं जिला–पाली 3/6. कंचन पुत्री लच्छाराम पत्नी मुकेश जाति–भाट निवासी–भाटों काक बास, नया गांव तहसील व जिला पाली 3/7. नर्बदा पुत्री लच्छाराम, जाति–भाट, निवासी–भाटों का बास, नया गांव पाली, तहसील एवं जिला–पाली 4. प्रियंका गोदारा पत्नी जितेन्द्र गोदारा, जाति–जाट निवासी–357 लक्ष्मीनगर पावटा बी. रोड जोधपुर 5. माँ सरस्वती शिक्षण संस्था जरिये सचिव श्री हरीकिशन गोदारा पुत्र लादुराम जी गोदारा, जाति–जाट, निवासी–गांव पलासनी, तहसील एवं जिला–जोधपुर 6. मोहम्मद रियाज वल्द इंसाफ जी, जाति–बागवान मुसलमान, निवासी–पठान कॉलोनी, नया गांव पाली, तहसील एवं जिला–पाली 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), पाली 8. उप–पंजीयक, पाली (प्रथम व द्वितीय)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता :– अपीलांटगण की ओर से दौलत मकवान उपस्थित
रेस्पोडेंटगण की ओर से राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 25/2/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:57 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलांट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2020/1397 दिनांक 2[illegible].2020 के विरूद्ध पेश की गई है अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली का रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

क्रमश..........2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि पाली चक ।। में स्थित खसरा नंबर 468 रकबा 106 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी दोयम है। उसमें रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 के पूर्वज पन्नालाल रेस्पोडेंट संख्या 2 कानाराम रेस्पोडेंट संख्या 3 के का.मु. 3/1 लगायत 3/7 के पूर्वज लछाराम व भीमाराम पुत्र गुलाब भाट का 1/4 हिस्सा था जो जमाबन्दी 2039–42 से प्रकट है। खसरा नंबर 468 के 1/4 हिस्सा अर्थात 26 बीघा 13 बिस्वा के तत्कालीन खातेदार पन्नालाल, भीमाराम, लच्छाराम, कानाराम पुत्रगण गुलाब भाट में से 1/2 हिस्सा भूमी के खातेदारान रेस्पोडेंट संख्या 1 पन्नालाल के का.मु. (रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 का पूर्वज) एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 कानाराम ने अपनी सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा की आराजी रकबा 13 बीघा 6.50 बिस्वा के खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 02.05.1985 (रजिस्ट्री दिनांक 03.05.1985) के अपीलार्थीगण के हक पूर्वधिकारी सहित 113 क्रेतागणों को बेचाण कर उक्त भूमी का कब्जा बहक सुपुर्द कर दिया। पूर्वाधिकारियों सहित कुल 113 क्रेतागणों को सुपुर्दकर दिया। उसमें से क्रेता क्र.स. 7 व 8 द्वारा अपीलार्थी सोहनलाल को क्रेता क्र.स. 09 जबाब फकीर मोहम्मद द्वारा अपीलार्थी सुखी को क्रेता क्रम संख्या 16 श्री छगनलाल द्वारा अपीलार्थी महेन्द्र कुमार को जरिये अलग–अलग रजिस्टर्ड बेचाण के भूमी बेचाण कर दी इसी प्रकार क्रेता श्री मोहनदास सेन द्वारा अपीलार्थी मोहम्मद शरीफ के पक्ष में आम मुख्तियार नाम निष्पादन का नोटरी से तस्दीक कराया जिस कारण अपीलार्थी बहैसियत मुख्तियार यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। वर्ष 2014 में सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में खसरा नम्बर 468 रकबा 106 बीघा 09 बिस्वा में से 79.16 बीघा भूमी गैर मुमकिन आबादी दर्ज करते हुए नगरपरिषद पाली के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 2994 के दर्ज की गई। तथा शेष 26 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 468/1 कायम कर रजिस्टर्ड बेचाण दिनांक 03.05.1985 अनुसार अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों सहित अन्य क्रेतागणों के पक्ष में नामान्तरकरण भर कर स्वीकृत नहीं होने के कारण रेस्पोडेंट मोरियादेवी पत्नी पन्नालाल , खीमाराम ,ओमप्रकाश, किशनलाल, गजेन्द्र पुत्रगण पन्नालाल, देवाराम पुत्र भीमाराम, लच्छाराम कानाराम पुत्र गुलाब कौम भाट साकिन नया गांव के इन्द्राज किए जो जमाबन्दी संवत 2068–2071 से स्पष्ट है। इसी भूमी को आगे वादग्रस्त भूमी से सम्बोधित किया जायेगा। विधी अनुसार आपसी सहमती से बंटवाड़ा के लिए वादग्रस्त भूमी के सभी काबिज सहखातेदारों की सहमति लिए जाने के प्रावधान है परन्तु अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों सहित पंजीकृत बेचाणनामा दिनांक 03.05.1985 में वर्णित क्रेतागण की सहमती लिए बिना ही बाले बाले पन्नालाल के वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 व रेस्पोडेंटगण संख्या 2 कानाराम के साथ मिली भगत कर आपसी सहमती से गलत तथ्य दर्ज कराकर आवेदन पेश कर बिना पत्रावली कायम किए रेवेन्यू इन्सपेक्टर पाली व पटवार हल्का पाली–I की रिपोर्ट ली जाकर दो दिवसों में ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया एवं उसी दिवस 21.10.2020 को जैर अपील नामान्तरकरण पटवार हल्का पाली द्वारा भरा गया तथा रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने 23.10.2020 को रेकर्ड मिलान किया तथा उसी दिवस को तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत कर दिया जिसका जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 3347 स्वीकृत किया गया है जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंटगण को यह तथ्य जानकारी में है कि जैर अपील आराजी का पूर्व में बेचाण हो चुका है जिसके 113 क्रेता है। जिसका कब्जा भी सुपुर्द खातेदार है नामान्तरकरण भरा नहीं जाने के कारण नाजायज फायदा उठाकर आपसी सहमती से बंटवाड़ा हेतु आवेदन किया है जिस बाबत जैर अपील आदेश पारित कर दिया। इससे पूर्व क्रेतागण को सुना नहीं गया न ही उन्हें नोटिस दिया गया। बाले बाले आदेश पारित कर दिया जो विधी विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। दिनांक 02.11.2020 को रेस्पोडेंट संख्या 4 के पति जितेन्द्र गोदारा व रेस्पाडेंट संख्या 5 के सचिव हरिकिशन गोदारा ने वाद ग्रस्त भूमी में से विशिष्ठ हिस्सा भूमी पर बिना बंटवाड़ा निर्माण कार्य हेतु पत्थर डलवाये तथा रेस्पोडेंटगण को सोहनलाल (अपीलार्थी) ने निर्माण करने से रोका तो उन्होंने उक्त आराजी को देवा पुत्र भीमा का हिस्सा खरीद किया बताया [illegible] रूके नहीं तथा धमकिया दी व निर्माण कार्य करवा रहे है। [illegible] व्यक्तियों द्वारा ही जेसीबी से धोरा लगवाया जा[illegible] तब उसके विरूद्ध थाने में झुठी रिपोर्ट दर्ज पेश की सोहनलाल ने अन्य अपीलार्थीगण को सूचना दी एवं पटवार हल्का के पास जाकर 04.11.2020 को नकले [illegible] एवं नामान्तरकरण को देखने पर अपीलाधीन आदेश व बंटवाड़ा की जानकारी हुई। 18.11.2020 को नकले प्राप्त की तब 18.11.2020 को प्रथम बार सोहनलाल को जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:50:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

रेस्पोडेंट कानाराम के जरिये पंजीकृत बेचाण 03.05.1985 के बेचाण सुदा हिस्सा पुनः रेस्पोडेंट संख्या 6 रियाज को बेचाण हस्तांतरण करने बाबत इकरार कर एक बेचाण इकरार 20.01.2020 को रेस्पोडेंट संख्या 6 के पक्ष में निस्पादन करने से रेस्पोडेंट संख्या 6 को पक्षकार बनाया है तथा वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 1/1 लगायत 1/6 भूमी आपस में मिलीभगत एवं मिलावट कर बेचाण सुदा 1/2 हिस्सा भूमी हस्तान्तरण व प्लॉट काटने पर आमादा है। जिनका विधिक अधिकार नहीं है। प्रस्तुत अपील 03.05. 1986 के पंजीकृत दस्तावेज में दर्ज सभी क्रेतागण से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है बल्कि यह अपील उनके हित में है इस कारण उन्हें रेस्पोडेंट नहीं बनाया गया है। इसका मैरिट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावे। अपीलार्थी वर्तमान में जमाबंदी में खातेदार नहीं है वकील अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2003 RRD Page-276, 2018(2) R.R.T. page-1552, 1990 R.R.D. page-44, 1989 RRD Page-620, 2012(1) RRT Page-658 , Supreme Court Civil Appeal No. 1330 of 2019 SMT. Bhimabai Mahadev Kambeker v/s Arthur Import and Export com. decision Date 31-01-2019 , 2014DNJ(sc)228 Hedd Note(B) , 1993 RRD 505, 2013 (1) RRT 436, 2002 DNJ (SC)67, 2002(1) RCR Page-92, पेश किए।

वकील रेस्पोडेंट ने वक्त बहस उनके द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी खातेदार अथवा हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपील के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती है। सीपीसी की धारा 96 के अनुसार खातेदारों के मध्य सहमति से बंटवाड़ा किया जाता है उस आदेश की अपील नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहे तथा यह भूमी 36 वर्षों पूर्व क्रय किया जाना बता रहे है आज तक नामान्तरकरण दर्ज करवाकर खातेदार दर्ज नहीं हुए तथा इसका कारण भी उल्लेखित नहीं किया है। न ही 36 वर्षों में आदिनांक किसी सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद अपने हक में नामान्तरकरण दर्ज कर खातेदार दर्ज कराने हेतु भी पेश किया गया है जिस जितेन्द्र गोदारा के मौके पर निर्माण कराने एवं सोहनलाल को धमकी देने की बात कर रहे है उसका इन्तकाल तो 2017 में ही हो चूका है। उसको मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति भी पेश की है। अपील में जिन 113 पंजीकृत क्रेता का कथन विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा किया गया उन सभी की और से यह अपील पेश नहीं की गई है। जिनके द्वारा बंटवाड़ा पेश किया गया वे सभी रेकार्डेड खातेदार है तथा उनकी सहमती से ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है। क्रेतागण द्वारा 36 वर्षों पूर्व जैर अपील आराजी क्रय की गई थी उनमें से अपने अधिकारों हेतु किसी भी व्यक्ति ने सक्षम न्यायालय में वाद पेश नहीं किया है। इस अपील के जरिये क्रेतागण अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में हक अधिकार घोषणा का वाद दायर कराना होगा। प्रस्तुत अपील म्याद बाहर है तथा अन्दर म्याद शुमार हेतु किसी प्रकार का परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत म्याद प्रार्थना पत्र एवं उनके समर्थन में शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इसलिए भी अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। वकील रेस्पोडेंटगण द्वारा न्यायिक दृष्टांत R.R.T. 2003(2)P.N.1212 , R.R.T. 2003 (2) P.N. 1176, R.R.T. 2003(2) P.N. 1046, DNJ RAJ. 2003(3) P.N. 1143, RRD 1992 P.N. 488 , RRD 2000 P.N. 168, RRT 2011(2) P.N. 786, RRT 2009(2) P.N. 1180, RRT 2011(1) P.N. 421, RRT 2008 (2) P.N. 1082 पेश किए गए।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार पाली से प्राप्त बंटवाडा का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible] द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2011(2) P.N. 786 के अनुसार :– [illegible]hen [illegible]e appeal is time barred question of limitation should have been decided [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:57 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः..........4

[illegible]ला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रस्तुत अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार पाली दिनांक 21.10.2020 के दिनांक 21.12.2020 को पेश की गई है जिसकी प्रथम अपील 30 दिवसों में होनी चाहिए थी लेकिन प्रस्तुत अपील 30 दिवसों के बाद की गई है जिसके सम्बन्ध में धारा 5 परीसीमा अधिनियम के तहत मय शपथ पत्र के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही सटीक युक्तीसंगत कारण ही विलम्ब होने बाबत उल्लेखित किया है इस वजह से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद नहीं होने से निरस्त योग्य है।

हस्तगत प्रकरण सम्पति हस्तान्तरण से सम्बन्धित नहीं है न ही विक्रय पत्र को अमान्य मानने से सम्बन्धित है। प्रश्नगत आदेश बंटवाड़ा स्वीकार कर उसके रेकर्ड में इन्द्राज किया जाने से सम्बद्ध है तथा बंटवाड़ा जमाबंदी के अनुसार सहखातेदारों के बीच किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा सभी खातेदारों की सहमती से एक प्रक्रिया के तहत किया गया है। तथा सहमती से किए गए बंटवाड़े को प्रश्नतगत नहीं किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में वर्णित मूल डिक्रियों की अपीलों के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि पक्षकारों की सहमती से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नही होगी।

हस्तगत अपील में बंटवाड़ा रेकर्ड में दर्ज सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमती से कराया गया है तथा तहसीलदार द्वारा बंटवाड़ा स्वीकृत किया जाकर आदेश के अनुरूप रेकर्ड में इन्द्राज किया गया अपीलांटगण द्वारा अपने पक्ष में घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में लाए बिना इस अपील के आधार पर अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सहखातेदारों द्वारा सहमती से बंटवाड़ा किया जाना विधिविरूद्ध नही है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाहर होने तथा आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:57 IST
Reason: SelfAttested